रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 919] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2008/आषाढ़ 10, 1930
No. 919] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2008/ASADHA 10, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2008

सं. 20 (आरई-2008)/2004—2009

का.आ. 1603(अ).— विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति 2004—2009 के अध्याय-1क के तहत पैरा 1.4 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. विदेश व्यापार नीति 2004—2009 के पैरा 1.4 के बाद पैरा 1.4क को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा :—

"पहले की सार्वजनिक सूचनाओं, नीति परिपत्रों, अधिसूचनाओं या निर्णयों को भी लागू माना जाएगा जैसे कि उन्हें चालू नीति के तहत जारी किया गया है और ये मौजूदा नीति और प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार हैं।"

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/60/162/29/पीसी-I]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2008

No. 20 (RE-2008)/2004—2009

S.O. 1603(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Central Government hereby amends Para 1.4 under Chapter-1A of the Foreign Trade Policy 2004—2009 (as amended from time to time), as under :—

2. After Para 1.4, Para 1.4A shall be inserted in Foreign Trade Policy 2004—2009, to reasd as :—

"The earlier Public Notices, Policy Circulars, Notifications or Decisions will also be deemed to be in force as if promulgated under the current policy to the extent they are not inconsistent with the provisions of the present policy and procedure."

3. This issues in Public interest.

[F. No. 01/60/162/29/PC-I]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.